


12.2.2020

पत्तावली पेश। वादी एवं वकील वादी
अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन
बार आवाज लगावाई गई, बावजूद
इसके वादी एवं वकील वादी
उपस्थित नहीं हुए। इससे यह
प्रतीत होता है कि वादी एवं
वकील वादी अपने दावे को लेकर
गम्भीर नहीं है, अतः सिविल
प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-9
(नियम-8) के तहत यह दावा इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्तावली फ़ैसल नुमांर होकर,
नम्बर से कम की जाकर,
दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचौर (जालोर)

